

क्रमांक 4220084 / छ.ग. / 2007 / भाग-2 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक / 06 / 2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
2. समस्त अधीक्षण अभियंता,
3. समस्त कार्यपालन अभियंता,

} जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़।

विषय :- मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स, प्रो. श्री पवन कुमार अग्रवाल, (मां महामाया बिल्डकान इंडिया प्रा.लि.) बिलासपुर (छ0ग0) का पंजीयन निलंबित करने बाबत।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर का आदेश क्र. प्र.अ. / 41308095 / सा / 11, दिनांक 01.06.2015

==00==

उपरोक्त विषय में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा जारी संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न है। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के उक्त आदेश के द्वारा मां महामाया बिल्डकान इंडिया प्रा.लि., बिलासपुर का “अ” श्रेणी में किया गया पंजीयन निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त ठेकेदार जल संसाधन विभाग में मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स, प्रो. श्री पवन कुमार अग्रवाल, बिलासपुर के रूप में अ-5 श्रेणी में पंजीकृत थे। आपके संरचना में उक्त ठेकेदार को यदि कोई कार्य आबंटित किया गया है तो इनके पंजीयन के निलंबन आदेश को ध्यान में रखते हुए तत्काल समुचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

सहपत्र :- एक।

E2/2015
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 4220084 / छ.ग. / 2007 / भाग-2 / 7161

रायपुर, दिनांक 04 / 06 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. उपपुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एन्टी करप्शन ब्यूरो जय जवान पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर (छ0ग0)।
2. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर।
3. नोडल अधिकारी ई-प्रोक्यूरमेन्ट, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर।

की ओर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर के संदर्भित आदेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- एक।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर



**कार्यालय, प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर (छ.ग.)**

आदेश क्र. प्र.अ./41308095/सा./11

रायपुर, दिनांक ०१/०६/२०१५

संस्कृत
पंजीकृत
डाक

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. 4220084 / छ.ग. / 07 / भाग-2 / 4140, दिनांक 04.04.2014 द्वारा सूचित किया गया कि मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रो. श्री पवन कुमार अग्रवाल, बिलासपुर का जल संसाधन विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची में “अ-५” श्रेणी में पूर्व में किये गये पंजीयन का नवीनीकरण किया गया था।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त ठेकेदार को विभाग की संरचना में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा में छीरपानी जलाशय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुबंध क्र. 05 / डी.एल. 2009-10 के द्वारा आबंटित किया गया था। इस अनुबंध की कार्य अनुसूची में (G-Schedule) हार्ड रॉक की खुदाई का आयटम समिलित नहीं था, तथापि कार्यपालन अभियंता के द्वारा इस आयटम के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार ने इस आयटम के कार्य को अतिरिक्त आयटम के रूप में संपादित किये जाने एवं इसका भुगतान करने हेतु कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में दिनांक 02.11.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया।

जल संसाधन के विभाग की संरचना में ही कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा के द्वारा अमोरा एनीकट के निर्माण कार्य की जारी निविदा आमंत्रण में मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा भाग लेते हुए हार्ड रॉक के किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त निविदा के निविदा पूर्व अर्हता निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स, प्रो. श्री पवन कुमार अग्रवाल, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा हार्ड रॉक के आयटम हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में जल संसाधन विभाग में शिकायत प्राप्त होने पर तथा इसका परीक्षण कराये जाने पर निर्माण स्थल पर हार्ड रॉक का कार्य न होना एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा उक्त आयटम का जारी अनुभव प्रमाण पत्र गलत पाया जाना प्रमुख अभियंता जल संसाधन रायपुर सूचित किया गया।

प्रकरण में जल संसाधन विभाग द्वारा उड़नदस्ता प्रकोष्ठ एवं पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर के द्वारा की गई जांच के जांच प्रतिवेदन में भी हार्ड रॉक का कार्य न होना सिद्ध होने का लेख प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स, प्रो. श्री पवन कुमार अग्रवाल, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा सुनियोजित रूप से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अतिरिक्त भुगतान पाने का एवं निविदा प्राप्त करने का षड्यंत्र किया गया।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 4220084 / छ.ग. / 07 / भाग-2 / 7041, दिनांक 01.06.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कृत्य हेतु मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स श्री पवन कुमार अग्रवाल, एल-101, साकेत एक्सटेंशन भवन, अग्रसेन चौक, बिलासपुर को उनके पत्र क्र. 4220084 / छ.ग. / 2007 / भाग-2 / 4140 / A, दिनांक 04.04.2015 द्वारा नोटिस जारी किया गया। वर्तमान में मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स अस्तित्व में नहीं है – अपितु इसके प्रोप्राईटर (श्री पवन कुमार अग्रवाल) एक अन्य कंपनी (मां महामाया बिल्डकॉन इंडिया प्रा.लि.-पंजीयन क्र. CGeR03235) जो कि एकल


१५

पंजीयन प्रणाली – ई-रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है, में एक डायरेक्टर है। इस नवीन कंपनी में विभिन्न डायरेक्टरों का शेयर प्रतिशत निम्नानुसार है :-

- (a) श्री पवन कुमार अग्रवाल – 90%
- (b) श्रीमति मधु अग्रवाल – 10%

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर द्वारा मां महामाया बिल्डकॉन इंडिया प्रा.लि. "अ" श्रेणी ठेकेदार को (मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रोप्राईटर श्री पवन कुमार अग्रवाल "अ-5" वर्ग ठेकेदार के रूप में ऊपर दर्शित कृत्य हेतु) निलंबित किये जाने हेतु समुचित आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मेसर्स महामाया डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स का प्रोप्राईटर श्री पवन कुमार अग्रवाल मां महामाया बिल्डकॉन इंडिया प्रा.लि. में डायरेक्टर हैं। अतएव प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर के प्रस्ताव अनुसार छ.ग.शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र. एफ 5-8 / 19 / 2013 / निविदा दिनांक 29.10.14 के साथ संलग्न दिशा निर्देश की कंडिका 8 के तहत तत्काल प्रभाव से मां महामाया बिल्डकॉन इंडिया प्रा.लि. "अ" श्रेणी ठेकेदार को निलंबित किया जाता है।


प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, रायपुर

पृ. क्र. प्र.अ./41308095/सा./11

रायपुर, दिनांक ०१/०६/२०१५

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, लो.नि.वि., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- ✓2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर की ओर उनके पत्र क्र. 4220084/छ.ग./07/भाग-2/4140 दिनांक 04.04.15 एवं पत्र क्र. 4220084/छ.ग./07/भाग-2/7041 दिनांक 01.06.15 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र,
5. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल,
6. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग,
7. आयुक्त, नगर निगम जिला,
की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. सर्वर कक्ष प्रभारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. मां महामाया बिल्डकॉन इंडिया प्रा.लि. "अ" श्रेणी ठेकेदार एल-101, साकेत एक्सटेंशन भवन, अग्रेशन चौक, बिलासपुर (छ.ग.), को ओर सूचनार्थ।

सहपत्र :— शून्य।